महत्वपूर्ण

संख्या–426/60–3–2022–6(सा0)/19

प्रेषक,

अनामिका सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 30 अगस्त, 2022

विषय–'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' का सरलीकरण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–24/निदे0म0क0/सुमंगला/एस0एन0डी0/2022–23, दिनांक 20.04.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– सूच्य है कि शासनादेश संख्या–436/60–3–2019–6(सा0)/2019टीसी, दिनांक 07.03.2019 द्वारा 'कन्या सुमंगला योजना' लागू किये जाने व उसके संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शिका (Guidelines) निर्गत की गयी है। 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में योजना के मूल शासनादेश संख्या–436/60–3–2019–6(सा0)/2019टीसी, दिनांक 07.03.2019 के मार्गदर्शिका में उल्लिखित वर्तमान व्यवस्था में एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

कमांक	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1	2	3
1–	वर्तमान समय में श्रेणी–1 (बालिका के जन्म होने पर) व श्रेणी–2 (बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त) के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्रों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन कमशः उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। श्रेणी–3 (कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त) व श्रेणी–4 (कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त) के आवेदन पत्रों का उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के सत्यापन के पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा भी	श्रेणी–1 से श्रेणी–6 तक सभी श्रेणियों के आवेदन पत्रों की पात्रता की स्थलीय जांच व भौतिक सत्यापन शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किये जाने वाले स्थलीय भौतिक सत्यापन में खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले सत्यापन के बिन्दुओं पर भी जांच/सत्यापन किया जायेगा।

	सत्यापन किया जाता है। इसी प्रकार श्रेणी–5 (कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश के उपरान्त) व श्रेणी–6 (ऐसी बालिकायें जिन्होनें कक्षा 10वीं/12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो) के आवेदन पत्रों का उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के सत्यापन के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भी सत्यापन किया जाता है।	
2–	वर्तमान समय में योजना की 06 श्रेणियों का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा प्रत्येक श्रेणी के लिये पृथक–पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य है।	आवेदक को किसी भी श्रेणी में आवेदन करने के पश्चात आगामी सभी श्रेणियों में सहजता से लाभ प्रदान करने हेतु पहली बार स्वीकृत होने के बाद आगामी श्रेणियों हेतु लाभार्थी बालिका का फार्म स्वतः संचालित सिस्टम के माध्यम से अग्रसारित किया जायेगा। आवेदन पत्र के अग्रसारण की सूचना पोर्टलजनित एस0एम0एस0 के माध्यम से लाभार्थी/आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर प्रेषित की जायेगी। स्वतः अग्रसारित आवेदन पत्र स्थलीय व भौतिक सत्यापन हेतु शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी को ऑनलाईन प्रेषित किये जायेंगे, जिनके द्वारा क्षेत्रीय कार्मिकों (ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल या स्थानीय नगरीय निकाय के कार्मिकों, आंगनबाड़ी कार्यकत्री) के माध्यम से आवेदन पत्रों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन कराया जायेगा। स्थलीय व भौतिक सत्यापन की आख्या के साथ संबंधित श्रेणी हेतु निर्धारित अतिरिक्त अभिलेख भी उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपलोड किये जायेंगे।

		सत्यापन के उपरांत उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पात्र आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्मिकों की आख्या सहित जनपद स्तरीय लॉगिन आई0डी0 पर अग्रसारित किया जायेगा।
3–	वर्तमान समय में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये लाभार्थी का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में होना आवश्यक है।	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ भारतीय पोस्टल बैंक के खाते भी अनुमन्य होंगे।
4–	आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ रू0 10 के स्टाम्प पत्र पर निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य है।	आवेदक द्वारा 'शपथ पत्र' के स्थान पर निर्धारित प्रारूप पर स्वहस्ताक्षरित 'घोषणा पत्र' उपलब्ध कराया जायेगा।
5–	वर्तमान समय में योजना के विभिन्न श्रेणियों हेतु आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित है–यथा श्रेणी 1 हेतु बालिका के जन्म 06 माह के अन्दर, श्रेणी 3 व 4 हेतु 31 जुलाई या विद्यालय में प्रवेश की अन्तिम तिथि के 45 दिन के अन्दर (जो भी बाद में हो) तथा श्रेणी 5 व 6 हेतु 30 सितम्बर या विद्यालय में प्रवेश की अन्तिम तिथि के 45 दिन के अन्दर (जो भी बाद में हो)।	योजना की श्रेणी 1 व 2 के लिए जन्म एवं टीकाकरण पूर्ण करने के एक वर्ष के अन्दर तथा श्रेणी 3, 4, 5 व 6 के लिए विद्यालय/शैक्षिक संस्थान में प्रवेश लेने वाले वित्तीय वर्ष में आवेदन करने की अनुमन्यता होगी।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

संख्या–426 (1)/60–3–2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बाल विकास एवं पुष्टाहार/ग्राम्य विकास/नगर विकास/बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/वित्त/कार्मिक एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

5. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. वेब मास्टर, महिला कल्याण निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि कृपया वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।
7. गार्ड फाइल।

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव।

C-2/Desktop/Kanya G.O.